

आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य तथा
सुश्री मधुमिता राँय, न्यायिक सदस्य के समक्ष
आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 159/इंदौर/2020

निर्धारण वर्ष : 2010-11

श्री नवीन कर्णिक, मनावर	बनाम	आयकर अधिकारी 3 (4), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-बीईवीपीके 0161 सी		

अपीलार्थी की ओर से :	श्री गिरीश अग्रवाल तथा सुश्री निशा लाहोटी, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से :	श्री हर्षित बारी, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि :	25.06.2021
उद्घोषणा तिथि :	25.06.2021

आदेश

सुश्री मधुमिता राँय, न्यायिक सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-I, इंदौर के आदेश दिनांक 10.01.2020 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई हैं। यह अपील 40 दिनों से कालबाधित है। इस संबंध में निर्धारिती द्वारा विलंब की माफी हेतु आवेदन दाखिल किया गया है जिसमें उसके द्वारा यह कथन किया गया है कि उनके द्वारा अपील दस्तावेज समय पर तैयार किए गए थे तथा फीस भी जमा की गई थी परंतु उस समय किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण अपील

दस्तावेज अधिकरण के कार्यालय में विलंब से दाखिल हुए थे । अतः उसने अपील दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करने का अनुरोध किया है । हमने पाया कि अपील दाखिल करने में विलंब तर्कसंगत कारण से हुआ था । अतः इस अपील दाखिल करने में विलंब को माफ किया जाता है ।

2. इस अपील की सुनवाई के दौरान निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ताओं ने निवेदन किया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारिती को सुनवाई का कोई उचित, तर्कसंगत तथा सार्थक अवसर नहीं दिया गया था । विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरण के गुणागुण का उचित रूप से परीक्षण किए बिना आक्षेपित एक पक्षीय आदेश पारित किया था । अतः यह अनुरोध किया गया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) को इस संबंध में निदेश दिए जाए । दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी परंतु निर्धारिती के निवेदनों का खंडन नहीं किया ।

3. हमने दोनों पक्षों को सुना है तथा निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का अवलोकन किया है । हमने पाया कि वर्तमान अपील में, निर्धारिती को उचित एवं प्रभावी अवसर नहीं दिया गया था । इसके अतिरिक्त, विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरणों के गुणागुण का उचित रूप से परीक्षण किए बिना आदेश पारित किया था, जो कि न्यायसंगत नहीं हैं । अतः, न्याय के हित में, हम विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश को अपास्त करना उपयुक्त समझते हैं । यह अपील निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात विधि के अनुसार गुणागुण पर निर्णयित करने के निदेश के साथ विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) की फाईल में प्रतिप्रेषित की जाती हैं तथा निर्धारिती को भी इस संबंध में विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष उपस्थित होने/ सहयोग करने का निदेश दिया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती हैं ।

यह आदेश 25.06.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-
(मनीष बोरड)
लेखा सदस्य

हस्ता/-
(मधुमिता रॉय)
न्यायिक सदस्य

दिनांक : 25.06.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल